निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 41 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य कृषि अधिकारी, उधमसिंह नगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य कृषि अधिकारी, उधमसिंह नगर** के माह 08/2013 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.एस. दरियाल,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं श्री जितेन्द्र तमोली, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26/09/2017 से 04/10/2017 तक श्री अनिल कुमार जैन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए.के. जैन, श्री राघवेन्द्र सिंह एवं श्री एस. एस. दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों, द्वारा दिनांक 03/08/2013 से 07/08/2013 तक श्री दिनेश रमोला, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2012 से 07/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः राज्य एवं केन्द्र पोषित योजनाओं जोकि सम्पूर्ण जिला।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	आधिक्य (+) □	बचत (-) □	आधिक्य (+) □	बचत (-) □
2012-13			58527600	58526590	29316688	28928335				
2013-14			74752088	73868521	20221305	20016856				
2014-15			60714585	60390129	50386462	45465829				
2015-16			67345885	61094056	30022605	28928335				
2016-17			77181978	72333452	9575939	9574026				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2013-14	केन्द्र पोषित योजनाए	226.82	59.34	59.34	226.82
2014-15		165.31	299.44	261.85	202.90
2015-16		57.23	270.99	256.73	71.49
2016-17		101.60	6.38	6.38	101.60

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **C** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

निदेशक

अतिरिक्त निदेशक

संयुक्त निदेशक

उपनिदेशक

मुख्य कृषि अधिकारी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में लेनदेन की लेखापरीक्षा, **मुख्य कृषि अधिकारी, उधमसिंह नगर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण

प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य कृषि अधिकारी, उधमसिंह नगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 11/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं आत्मा योजना** का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम स्वीकृत एवं व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13,** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

-शून्य-

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 1: रू. 315.89 लाख का प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय किया जाना।

बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियमों के अनुसार शासन के द्वारा जिस वर्ष के लिए धनराशि का आवंटन किया जाता है, उसकों उसी वित्तीय वर्ष में व्यय किया जा सकता है, शासकीय आवंटित धनराशि का कोषागार से तब तक आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसके तुरन्त व्यय की सम्भावना न हो, यह भी कतिपय नहीं करना चाहिए कि वित्तीय वर्ष के अन्त में कोषागार से धनराशि का आहरण इसलिए भी नहीं करना चाहिये कि अगले वित्तीय वर्ष में प्रावधान समाप्त हो जायेगा।

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी उधमसिंह नगर की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2015-16 में शासन द्वारा आवंटित धनराशि को दिनांक 31/03/2016 कोषागार से आहरण करके प्राप्त शासकीय चैकों के बैकर्स ड्राफ्ट बनाकर उनकों आहरण वितरण अधिकारी के पदनाम से खोले गये बैंक खाता संख्या 98450100002248 में कुल रू. 3,15,89,834.00 जमा करके अवरूद्ध किया गया था तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्त में मुख्य रोकड़ बही में अवशेष शून्य दर्शाया गया था। वित्तीय वर्ष 2015-16 कोषागार से आहरित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 माह 04/2016 में दर्शाया गया था, जिसका सत्यापन आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भी करा गया था। माह 03/2016 में आहरित एवं माह 04/2016 में मुख्य रोकड़ बही में व्यय दर्शाना बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियमों के विपरीत था।

इस संबंध में विभाग से पूछने पर बताया गया कि शासन द्वारा धनराशि का आवंटन वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस में हुआ था, कोषागार का सर्वर ठीक से कार्य न करने के कारण कोषागार से प्रस्तुत समस्त देयकों का एक ही शासकीय चैक निर्गत कर दिया गया, चूकि अलग-अलग देयकों की धनराशि का अलग-अलग फर्मों को भुगतान किया जाना था, इसलिए उक्त चैक को विभागीय खाते में जमा करके नियमानुसार भुगतान किया गया। भविष्य में आडिट आपत्ति का ही संज्ञान लिया जायेगा। कार्यालय में अन्य माह में ऐसी प्रक्रिया नहीं रही है, रोकड़ पंजिका देखी जा सकती है। वित्तीय वर्ष का अन्तिम दिवस होने से ऐसा हुआ है।

विभागीय उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि शासन द्वारा धनराशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय करने हेतु किया गया था। वित्तीय वर्ष 2015-16 की आवंटित धनराशि को व्यय करने की अनुमति शासन के वित्त विभाग एवं निदेशालय के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय अनुमति नहीं दी गयी थी, बिना व्यय अनुमति प्राप्त किये अलग वित्तीय वर्ष में धनराशि का व्यय करना नियमों के विरूद्ध था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जात है।

STAN

प्रस्तर 1- राजकीय कृषि फार्म की भूमि का आवधिक मूल्यांकन न किया जाना तथा सांख्यिकी विभाग के प्राक्कलित औसत उत्पादन से कम उत्पादन किया जाना।

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी उधम सिंह नगर की लेखा परीक्षा के दौरान राज्य कृषि प्रक्षेत्र खटीमा एवं राज्य कृषि प्रक्षेत्र मटकोटा के अभिलेखो की जांच में पाया कि राज्य कृषि प्रक्षेत्र खटीमा में कुल भूमि 10.38हेक्टेयर है, में से कृषि योग्य क्षेत्रफल 9.50 है0 एवं राज्य कृषि प्रक्षेत्र मटकोटा में कुल 10 हेक्टेयर भूमि है में से कृषि योग्य क्षेत्रफल 9.50 है0 है । राजकीय कृषि बीज संवर्धन प्रक्षेत्र, खटीमा में प्रक्षेत्र पर बोई गई फसलों का प्रति है0 उत्पादन वर्ष 2014-15 में 6.47 से 20.00 कु0, वर्ष 2015-16 में 18.00 से 24.00 कु0 एवं वर्ष 2016-17 में 2.1 से 23.28 कु0 है तथा राजकीय कृषि बीज संवर्धन प्रक्षेत्र, मटकोटा में प्रक्षेत्र पर बोई गई फसलों का प्रति है0 उत्पादन वर्ष 2014-15 में 6.00 से 30.20 कु0, वर्ष 2015-16 में 10.00 से 29.95 कु0 एवं वर्ष 2016-17 में 1.65 से 37.72 कु0 है, जबकि सांख्यिकी विभाग की प्राक्कलनानुसार औसत उत्पादन(खरीफ) वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक प्रति हेक्टेयर 32.559 कुंटल से 33.981 तक उत्पादन होना चाहिए था, के सापेक्ष्य राजकीय कृषि फार्मो का औसत उत्पादन 6.798 से 18.797 कुंतल प्रति हेक्टेयर रहा, इसी प्रकार (रबी) वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक प्रति हेक्टेयर 29.824 कुंटल से 42.36 तक औसत उत्पादन होना चाहिए था, के सापेक्ष्य राजकीय कृषि फार्मो का उत्पादन 11.567 से 17.315 कुंतल प्रति हेक्टेयर रहा, जो कि बहुत कम है।(विवरण पत्र संलग्न)

राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, खटीमा के वर्ष 2011-12 के तुलन पत्रानुसार कृषि भूमि का कुल मूल्य रु0 124924.00 तथा राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, मटकोटा के वर्ष 2007-08 के तुलन पत्रानुसार कृषि भूमि का कुल मूल्य रु0 3750000.00 मात्र दिखाया गया है, भूमि की वास्तविक मूल्य की गणना न कर विभाग ने अपने दायित्व को कम किया है जो कि अनियमित है। जबकि दोनों कृषि फार्म मुख्य मार्ग से लगे होना बताया गया, जिसकी कीमत कई गुना अधिक होना बताया गया है, कृषि फार्म की भूमि की तुलन पत्र में दिखाई गई मूल्य का कई वर्षो से मूल्यांकन नहीं किया गया है। राजकीय कृषि फार्म खटीमा का वर्ष 2012-13 एवं मटकोटा का 2007-08 से तुलन पत्र ही तैयार नहीं किया गया है।इस कारण राजकीय कृषि फार्मो की आर्थिक स्थितियो की समीक्षा भी नहीं की गई है। उक्त लिखित बिन्दुओ को इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि "यथाशीघ्र अवशेष वर्षो की बैलेन्स शीट बनाने हेतु कार्यवाही कर दी जाएगी"। विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि 04 से 10 वर्ष के बाद भी तुलन पत्र तैयार न करवाया जाना विभाग की उदासीनता का द्योतक है। आगे कम उत्पादन होने के परिपेक्ष्य में उत्तर में बताया कि "पर्वतीय प्रजाति होने के कारण"। विभाग का उत्तर ततथ्यात्मक नहीं है क्युकि विभाग के द्वारा प्रति हेक्टेअर कितनी उत्पादन होना चाहिए तय नहीं किया है। लेकिन सांख्यिकी के प्राक्कलित उत्पादन से बहुत कम उत्पादन किया गया है। अतः राजकीय कृषि फार्म की भूमि का आवधिक मूल्यांकन न किया जाना तथा सांख्यिकी विभाग के औसत उत्पादन से कम उत्पादन किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**
58/2009-10	1,2	-
67/2011-12	-	1,2,3,4
22/2013-14	-	1,2

अन्य 2002-03 से पूर्व के प्रस्तर हैं।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

58/2009/10	भाग-II 'अ' प्रस्तर- 01,02		लेखापरीक्षा में उत्तर सत्यापित नहीं कराया गया, अतः प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है।	
67/2011-12	भाग-II 'ब' प्रस्तर- 01,02,03,04			
22/2013-14	भाग-II 'ब' प्रस्तर-01,02,			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-शून्य-

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य कृषि अधिकारी, उधमसिंह नगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) चयनित माह मार्च 2016 के रू. 45.16 के व्यय वाऊचर सम्प्रेक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये है।

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री प्रदीप कुमार सिंह	मुख्य कृषि अधिकारी	25/08/2010 से 13/07/2017
(ii)	श्री अभय सक्सेना	मुख्य कृषि अधिकारी	14/07/2017 से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य कृषि अधिकारी, उधमसिंह नगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (आर्थिक क्षेत्र-2) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र-2